



प्रकरण क्रं. /2017 निगरानी

(23)

क. श्रीकांत, म.प्र.
२५-६-१७ को

वकील ऑफ कोर्ट
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

शिवरतन पुत्र श्री हीरालाल अनुरागी
निवासी ग्राम उदयपुर, तहसील गौरिहार,
जिला छतरपुर (म०प्र०)

— आवेदक

विरुद्ध

बृजेश प्रजापति पुत्र श्री आर.डी.प्रजापति,
निवासी-पेप्टेक टाउन, नोगाँव रोड, छतरपुर
(म०प्र०)

— अनावेदक

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म०प्र०भू०रा० संहिता 1959 विरुद्ध
आदेश दिनांक 20.06.2017 द्वारा पारित न्यायालय श्रीमान्
तहसीलदार, तहसील लवकुश नगर जिला छतरपुर म.प्र.
प्रकरण क्रमांक 97/बी-121/ 2016-2017 मे पारित।

माननीय महोदय,

आवेदक की निगरानी निम्नलिखित है:-

1. यह कि, प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक ने दिनांक 23.02.2017 को एक आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला छतरपुर म.प्र. के समक्ष एक शिकायती आवेदन पत्र कलेक्टर जिला छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया और बताया कि खसरा क्रमांक 29 ग्राम मढा, तहसील लवकुश नगर जिला छतरपुर जो कि शासकीय भूमि है परंतु वर्तमान में आवेदक ने अपना इन्द्राज करा लिया और उस आधार पर अपना पेट्रोल पंप एच.पी.सी.एल. का स्वीकृत करा लिया है। उस पर-से प्रकरण तहसीलदार तहसील लवकुश नगर

3

5-9-17

डाक्टर. ए.ए.सी. 188
के लिये वास्तव उपस्थित। डाक्टर
कुछ बात सिविल न कि मा. मा.
कि वह इस प्रकार को आने
पमाना नहीं चाहते है। डाक्टर
आविष्कार के सिविल न कि प्रकार
Not सिविल में इसी को पा.
समाप्त - कि मा. मा. को प्रकार।
कागज़ दिखाई है।

Infrastructure
Not PRD.
Z. A. A.
5.9.17.

3

अक्षय